

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या: 131/2019

युनाईटेड बैंक आफ इण्डिया शाखा शास्त्रीनगर, अजमेर जरिये अधिकृत अधिकारी,
युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर-302001 राजस्थान
.....प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

- (1). मैसर्स श्री साई ग्रेनाईट साझेदारी फर्म, रजिस्टर्ड कार्यालय इण्डो प्लॉट नं० 48, खसरा नं० 197/2, ग्राम दरदूड, तहसील रूपनगढ, जिला-अजमेर।
- (2). श्री मनोज कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण पीपलवा, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम भदलिया, तहसील डीडवाना, जिला-नागौर, साझेदार मैसर्स श्री साई ग्रेनाईट
- (3). श्री संजय कुमार पीपलवा पुत्र श्री हरदेवलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम भदलिया, तहसील डीडवाना, जिला-नागौर, साझेदार मैसर्स श्री साई ग्रेनाईट
- (4) श्री अजीत कुमार शर्मा पुत्र श्री भँवरलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी राम मन्दिर के पीछे, ऊटडा रोड, कृष्णापुरी, मदनगंज-किशनगढ, जिला-अजमेर जमानती मैसर्स श्री साई ग्रेनाईट
.....अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिक्सटक्शन
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- श्री अनिल शर्मा - अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 01.10.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी संख्या 01 फर्म जिसके अप्रार्थी संख्या 02 एवं 03 साझेदार है को दिनांक 11.10.2017 को रु. 1,75,00,000/- (अक्षरे एक करोड पिचेहत्तर लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम दरदूड, तहसील रूपनगढ जिला-अजमेर स्थित औद्योगि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित भूमि खसरा संख्या 197/2 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा अर्थात 12278.14 वर्गमीटर भूमि में से विखण्डित भूखण्ड संख्या 48 क्षेत्रफल 2359.72 वर्ग मीटर को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.01.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 31.05.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये-1,75,97,498 01/- (अक्षरे एक करोड पिचेहत्तर लाख सत्यानवे हजार चार सौ अठ्यानवे एवं 01 पैसे) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।



At Sharma

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात् भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति ग्राम दरडून्द, तहसील रूपनगढ जिला-अजमेर स्थित औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्पत्तिवर्तित भूमि खसरा संख्या 197/2 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा अर्थात् 12278.14 वर्गमीटर भूमि में से विखण्डित भूखण्ड संख्या 48 क्षेत्रफल 2359.72 वर्ग मीटर जिसकी सीमाएँ पूर्व में-80 फीट- रोड 40 फिट चौड़ा पश्चिम में-80 फीट-अन्य खसरा भूमि उत्तर में-320 फीट- औद्योगिक प्लॉट नं० 49, दक्षिण में- 315 फीट- प्लाट नं० 47 है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हरब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को सुनाया गया।



Sharma

(विश्व मोहन शर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट

अजमेर

दिनांक - 31.10.2019

आदेश में लिपिकीय संशोधन

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.10.2019 में रही लिपिकीय त्रुटि के संशोधन हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण के अवलोकन एवं परीक्षण उपरान्त उक्त आदेश में टंकण से शेष रही बंधक सम्पत्ति भाग (ब) को निम्नानुसार अंकन किये जाने का संशोधन किया जाता है, जो कि उक्त आदेश का भाग समझा जायेगा-

आदेश के प्रथम पृष्ठ के पैरा सं० 01 की पंक्ति सं० 07 में अंकित 2359.72 वर्ग मीटर के आगे एवं द्वितीय पृष्ठ के पैरा सं० 02 की पंक्ति संख्या 11 में अंकित प्लाट नं० 47 के आगे "तथा ग्राम दरडून्द, तहसील रूपनगढ जिला-अजमेर स्थित औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्पत्तिवर्तित भूमि खसरा संख्या 183/1 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा अर्थात् 8255.57 वर्गमीटर भूमि में से विखण्डित भूखण्ड संख्या 14 क्षेत्रफल 1428.77 वर्ग मीटर जिसकी सीमाएँ पूर्व में-60 फीट-रोड 40 फिट चौड़ा पश्चिम में-122.4 फीट प्लॉट नं० 15, उत्तर में-157.10 फीट-रोड 40 फीट चौड़ा, दक्षिण में-152 फीट-प्लाट नं० 16" अंकित किया जाता है, जो कि उक्तानुसार उपरोक्त आदेश का भाग पढा, समझा व माना जायेगा।

Sharma

(विश्व मोहन शर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

Scanned by CamScanner

